

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पू.आई.डी संख्या: UPFS/2025/157861/KHR/KHERI/1118/CFO

दिनांक: 16-05-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स PT DEENDAYAL UPADHYAY SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE (भवन/
प्रतिष्ठान का नाम) पता 127, VILL-UDAYPUR MAHEWA, GOLA ROAD, Lakhimpur तहसील - Lakhimpur, प्लॉट एरिया 5340
sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 5027.16 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	4	0	15.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स PT DEENDAYAL UPADHYAY SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 25-06-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री RAVI BHUSHAN SAHNI के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 25-06-2025 से 24-06-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स PT DEENDAYAL UPADHYAY SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स PT DEENDAYAL UPADHYAY SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : यह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा नियमावली 2024 के अंतर्गत निर्गत किया गया है। विद्युत विभाग से बिजली सुरक्षा (electricity safety) प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा तथा निकास मार्ग/अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता /कार्यशीलता बनाये रखना संबंधित का दायित्व होगा, अन्यथा प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



(AKSHAY RANJAN SHARMA)

[E99078B00990075074DF12AAF8C0E85964B88C91]

25-06-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-06-2025
स्थान : KHERI